

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

य उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

कुरिदा बानो बनाम रुड़ाराम वर्गौण
दावा मुकदमा नं. 89 सन् 2017

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

वकील वादिना श्री राजेन्द्र कुमार श्रीगा
ने हाजिर मदालत होकर वादपत्र मय त्वापत्र
U/s 80(2) CPC पेश किया। ~~मामूला~~ वादपत्र दर्ज
रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी
जरिए तम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 2-8-17
को पेश हो।

3378-34
517117

02/08/17
पत्रावली पेश हुई। मुकदमा रजिस्टर
किया जावे।
04.10.17

04/10/17
पत्रावली पेश हुई। मुकदमा रजिस्टर
किया जावे।
06.12.17

06/12/17
पत्रावली पेश हुई। मुकदमा रजिस्टर
किया जावे।
07.02.18

07/02/18
पत्रावली पेश हुई। मुकदमा रजिस्टर
किया जावे।
07.03.18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	<p>07 03 / 18</p> <p>कडिा बाते री सुनाराम बाते</p> <p>वकील बादिबा दुगारा</p> <p>04.04.18</p> <p>दि</p>
<p>23 03 / 18</p>	<p>वकील बादिबा दुगारा प्रस्तुत प्रार्थना - कि न्यायालय तलबी रबीकार डिजा जाने पर पत्रावली पूर्व मियत तारीख बेसी से तलब की जात पेडा हुई। वकील बादिबा ने निवेदन कि कि विवाहित पञ्जाबान के मध्य बाहमी राजीनाम हो चुका है। बादिबा प्रकरण के अगे अगे गरी पञ्जाबान (प.ए.) है तथा न्यायालय कि कोई अनुमति नहीं चाही है। अतः बाबा विद्वा कि कि कि अनुमति प्रदान करें। वकील बादिबा प्रस्तुत प्रार्थना - कि रबीकार डिजा जात तदनुसार बाबा विद्वा कि कि जाते कि अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में अगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी मतर पर अन्त की जाती है। पत्रावली के मल सुमा होत मध्य कि कडिा हो तथा बाते तलमील बादिबा प्रस्तुत है। निवेदन पुन न्यायालय में पुनाया गया</p>